



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 अक्टूबर, 2025

आश्विन 11, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1770/ग्यारह-2-25-9(47)-17-टी0सी0-298-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(364)-2025

लखनऊ, 3 अक्टूबर, 2025

शुद्धि-पत्र

प0आ0-170

राज्य कर अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1699/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी.सी. -284-उ0प्र0अधि०-1-2017-आदेश-(362)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 में,-

(i) पृष्ठ 2, क्रम संख्या 2 में, "सभी सामान, ताजा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा" के स्थान पर "सभी सामान, ताजा या ठंडा के अलावा, पूर्व-पैक और लेबल वाले" पढ़ें;

(ii) पृष्ठ 2, क्रम संख्या 3 में, "सभी सामान, ताजा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा" के स्थान पर "सभी सामान, ताजा या ठंडा के अलावा, पूर्व-पैक और लेबल वाले" पढ़ें;

(iii) पृष्ठ 2, क्रम संख्या 8 में, "पनीर, छेना या पनीर के अलावा" के स्थान पर, "चीज, छेना या पनीर के अलावा" पढ़ें;

(iv) पृष्ठ 6, क्रम संख्या 35 में, "साथी" के स्थान पर, "मेट" पढ़ें;

(v) पृष्ठ 35, क्रम संख्या 298 में, "6 मिमी से अधिक मोटाई की" के स्थान पर, "6 मिमी से अधिक मोटाई की नहीं" पढ़ें;

(vi) पृष्ठ 45, क्रम संख्या 392 में, "2500 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक मूल्य के जूते" के स्थान पर, "जूते जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक न हो" पढ़ें;

(vii) पृष्ठ 79, क्रम संख्या 142 में, "[रबर, रबर बैंड के अलावा]" के स्थान पर, "इरेजर, रबर बैंड के अलावा]" पढ़ें;

(viii) पृष्ठ 81, क्रम संख्या 155 में, "6 मिमी से अधिक मोटाई की" के स्थान पर, "6 मिमी से अधिक मोटाई की नहीं" पढ़ें;

आज्ञा से,
एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 207 राजपत्र-2025-(621)-599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 18 सा0 राज्य कर-2025-(622)-500+500=1000 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।